

राजस्थान सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ.स./05/ 43952-44126 दिनांक : 2-2-10

क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक  
कृषि विपणन विभाग  
खण्ड समस्त ।

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
समस्त ।

विषय- मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि पंजीकृत गौशालाओं पर व्यय किये जाने की स्वीकृति वावत ।

प्रसंग- निदेशालय के आदेश क्रमांक प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ.स./05/1035-1207 दिनांक 20.8.09 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 23547-94 दिनांक 2.9.09 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेशों के द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा 9(ए) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मण्डी समिति निधि में से राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के रखरखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

उक्त आदेशों की क्रियान्विति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है ।

क्रमांक: प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ.स./05/ 43952-44126

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मान. कृषि विपणन राज्य मंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
5. मुख्य लेखाधिकारी / उपनिदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन, मुख्यालय, जयपुर ।

निदेशक  
कृषि विपणन  
दिनांक : 2-2-10

निदेशक